

3.4.14

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर (म०प्र०)

प्रकरण क्रमांक- /2014/निगरानी - R 789-III/14

2)

नं० आर्कड कोर

3.14

3.14

12. PM

निलेश कुमार पुत्र श्री तेजमल,
उम्र-30वर्ष, व्यवसाय-कृषि, निवासी
-ग्राम सतना बाड़ा खुर्द, तहसील
व जिला शिवपुरी (म०प्र०)

-----आवेदक

बनाम

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर
जिला शिवपुरी (म०प्र०)

-----अनावेदक

निगरानी आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व
संहिता विरुद्ध आदेश दिनांक 25.03.1992 न्यायालय
कलेक्टर जिला शिवपुरी प्रकरण क्रमांक-59/91-92स्वनिगरानी
माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार

प्रस्तुत हैं:-

प्रकरण के संक्षिप्त विवरण:-

1- यहकि, ग्राम सतना बाड़ा खुर्द स्थिति भूमि सर्वे नम्बर
1/2 के रकवा 1.672 हेक्टेयर सम्पूर्ण जाँच एवं
विधिवत प्रक्रिया का पालन करने के उपरान्त न्यायालय
तहसीलदार ने अपने प्रकरण क्रमांक-20/89-90/अ-19
द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.12.1989 के द्वारा भूमि
बटन की गई तथा मौके पर कब्जा सौंप दिया गया था,
तभी से आवेदक द्वारा धन खर्च कर मेहनत से कृषि

करने पतितार का पालन पोषण करता

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 789/III/2014

जिला शिवपुरी

स्थान तथा
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं
अभिभाषकों
के हस्ताक्षर

3.4.2014

यह निगरानी कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 59/91-92 स्व. निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25-3-92 के विरुद्ध ग0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।


2/ आवेदक के अभिभाषक ने प्रारंभिक तर्कों में बताया कि सतनवाड़ा खुर्द स्थित पुराना भूमि सर्वे क्रमांक 1/2 रकबा 1.672 हैक्टर का आवेदक कृषक है जिसका आवेदक को तहसील न्यायालय के प्र.क्र. 20/89-90 अ 19 में पारित आदेश दिनांक 26-12-89 से पट्टा मिला है। तहसील न्यायालय के प्रकरण को कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी में लिया जाकर कारण बताओ नोटिस दिया गया था जिसमें आवेदक ने पैरबी हेतु बकील नियुक्त किया। प्रकरण में 25-3-92 को आदेश पारित कर पट्टा निरस्त कर दिया, जिसकी जानकारी आवेदक को न्यायालय द्वारा नहीं दी गई और न ही आवेदक के नियुक्त अभिभाषक ने कोई जानकारी दी थी, जिसके कारण निगरानी प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाकर सुनवाई की जावे।

निगरानी क्रमांक : 789/III/2014

3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एवं अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में वर्णित तथ्यों के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह निगरानी कलेक्टर शिवपुरी के आदेश दिनांक 25-3-92 के विरुद्ध दिनांक 5-3-14 को अर्थात् लगभग 22 वर्ष के अंतर से प्रस्तुत है जो अत्याधिक विलम्ब से है तब क्या इतने अधिक विलम्ब को क्षमा किया जा सकता है ?

1. भू-राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.)-धारा-47 तथा 44 एवं परिसीमा अधिनियम, 1963 - धारा 5 - विलंब माफी हेतु आवेदन - आदेश की जानकारी का श्रोत सही नहीं दर्शाया गया - प्रत्येक दिन के विलंब का स्पष्टीकरण नहीं - विलंब माफ नहीं किया जा सकता।
2. म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959- धारा 47 - अनुचित विलम्ब को क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वितीय पक्षकार को प्रोदभूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता।
3. म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959- धारा 47 - अंतिम तर्क उपरांत आदेश हेतु तिथी नियत - अंतिम आदेश दिनांक की तिथि अभिभाषक के अभिज्ञान में है - आदेश नियत दिनांक को अभिभाषक ने टीप नहीं किया- आदेश की सूचना होना जाना मानी जावेगी - प्रथक से सूचना देना आवश्यक नहीं है।

उपरोक्त कारणों से अत्याधिक विलम्ब से प्रस्तुत निगरानी सुनवाई योग्य नहीं होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।


(अशोक शिवहरे)

सदस्य
राजस्व मण्डल, ग्वालियर

तलथ राज

क्रमांक-

3/14

नी आवे

ता विरु

टर जिल

नीय न्य

प्रस्तुत है

रण के

यहकि,

1/2 वं

विधिवत

तहसील

द्वारा पा

बटन क

तभी से

योग्य

चला 3

3/4/14
